न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

क्रमांक/कोर्ट/2025/575 दिनांक :22/05/2025

तहसीलदार,
तहसील, जालसू,
जयपुर।

विषयः—न्यायालय के प्रकरण संख्या 36/2025 भैरू सिंह बनाम बंशी वगै0 में निर्णय व डिक्री दिनांक 20.05.2025 की पालना में पालना रिपोर्ट भिजवाने बाबत्।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वाद संख्या 36/2025 भैरू सिंह बनाम बंशी वगै0 में निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 20.05.2025 की छायाप्रति संलग्न कर भिजवाई जा रही है। यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो आप नियमानुसार निर्णय एवं डिक्री की पालना कर पालना रिपोर्ट अतिशीघ्र न्यायालय में भिजवायें।

संलग्नः—1. प्रतिलिपि निर्णय व डिक्री दिनांक 20.05.2025
2. कुर्रेजात मय नक्शा।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:18:11 IST
Reason: SelfAttested

ACM आमेर [illegible]

फर्द अहकाम

5 मौजीलाल बनाम बंशी

नाम न्यायालय

केस संख्या 27/20 [illegible]

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
	20-5-2025	पत्रावली प्रस्तुत। व.के.उप.। कुर्रेनात रिपोर्ट पर बहस सुनी गई। उभय पक्ष ने कोई आपत्ति नहीं की। अत: प्रस्तुत तर्कों के आधार पर वाद तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेनात के आधार पर डिक्री किया जाता है। निर्णय व डिक्री पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।
तहसीलदार [illegible] 20/5/2025		

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:18:11 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या 27/2020

वाद प्रस्तुति दिनांक : 11.09.2023

भैरू सिंह पुत्र करणीदान, उम्र 50 वर्ष, जाति चारण, निवासी ग्राम रायथल, तन ढाणी चारणों की तहसील आमेर जिला जयपुर राज.।

.... वादी

बनाम

1. बंशी पुत्र बिरदा जाति यादव, निवासी ढाणी नवोडी, तन रामपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर राज.।
2. उप पंजीयक महोदय, आमेर, जिला जयपुर राज.।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
4. जयपुर जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड जयपुर शाखा चौमूं जरिये शाखा प्रबंधक पता – चौमूं तहसील चौमूं जिला जयपुर।

..........प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत – 53, 188 अन्तर्गत अधिनियम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955

दिनांक 20.05.2025

हस्तगत वाद पत्र में वादी द्वारा अंकित किया गया है कि ग्राम रायथल, पटवार क्षेत्र रायथल, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जयसिंहपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर में कृषि भूमि खसरा नंबर 1/1291 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2 रकबा 0.74 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.78 हैक्टेयर स्थित है, जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा निहित है जो वादी व प्रतिवादी संख्या 1 की अविभाजित संयुक्त खातेदारी की कब्जे–काश्त की भूमि है। जिसका वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन नहीं हुआ है जिस पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में दर्ज अपने हिस्से पर मनबंट के आधार पर काबिज काश्त हो उसका उपयोग उपभोग कर रहे हैं। तथा उक्त संपत्ति का लगान सरकारी अदा किया जा रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त भूमि के विशिष्ट भू–भाग पर निर्माण कार्य करने की नियत से नीवें खोदना प्रारंभ कर दिया जिस पर वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को वादग्रस्त भूमि का बिना विधिवत् तकासमा कराये विशिष्ट भू–भाग पर निर्माण कार्य करेगा तथा वादग्रंस्त भूमि को कृषि से अकृषि कार्य में परिवर्तित कर [illegible] प्लॉटिंग करके रहेगा तथा वादग्रस्त भूमि को विशिष्ट भू–भाग के [illegible] पर वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से कहा कि अभी विवादग्रस्त भूमि का विधिवत् विभाजन नहीं हुआ है इस कारण आप वादग्रस्त भूमि पर निर्माण कार्य नहीं कर [illegible] और ना ही प्लॉटिंग कर सकते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:18:11 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

उसके बाद प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दी गयी धमकी के कारण उक्त वाद बाबत् तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश करना लाजमी हुआ है।

प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से उक्त उनवानी ज़वाब दावा पेश कर कथन किया कि मिन उत्तरदाता ने अपनी उक्त भूमि को विकसित कर रखी है तथा उक्त भूमि के चारों तरफ तारफेन्सिंग कर रहवास हेतु मकान, पानी का होद, बोरिंग आदि बना कर उक्त भूमि का उपयोग उपभोग कर रहा है। मिन उत्तरदाता ने उक्त भूमि को पूर्व खातेदार कानसिंह व मोती सिंह पुत्रान श्योसिंह से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय कर उनके स्थान पर काबिज काश्त है। यहां यह भी स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि वादी का उक्त भूमि से कोई संबंध व सरोकार नहीं है उक्त खसरा नंबर 1/1291, 2 एवं खसरा नंबर 3 वादी के पिता एवं पूर्व खातेदारों के मध्य मौखिक विभाजन किया गया था, जिसके अनुसार खसरा नंबर 3 में पूर्व खातेदार के हिस्से की भूमि वादी के पिता को दी गई तथा खसरा नंबर 1/1291 व 2 में वादी के पिता के हिस्से की भूमि पूर्व खातेदारों को दी गई। तत्पश्चात् पूर्व खातेदारों से मिन उत्तरदाता ने उक्त भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 08/08/1975 को क्रय कर कब्जा प्राप्त कर लिया तथा उसी अनुसर आज तक निर्बाध रूप से काबिज काश्त करता चला आ रहा है। वादी एवं मिन उत्तरदाता के हिस्से की भूमि को अच्छी तरह समझाने के लिए जवाब दावे के साथ संलग्न किया जा रहा है। पूर्व में हुये बंटवारे के अनुसार वादी को खसरा नंबर 3 दिये गये थे जिस पर वादी काबिज काश्त है जिसका उक्त खसरा नंबरान् से कोई संबंध व सरोकार नहीं है। इसलिए वादी को किसी प्रकार की कोई अपूर्तनीय क्षति उत्पन्न होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता हैं। वादी का वादी खारिज किये जाने योग्य है।

वाद प्रस्तुति के उपरान्त प्रकरण नियमानुसार दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण आदेशित किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी के वाद पत्र का जवाब प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वादी की ओर से प्रतिवादी संख्या 1 ने जवाब दावे के मद नंबर 4 में गलत तथ्य अंकन कर वाद अधीन भूमि संपूर्ण पर मिन उत्तरदाता के कब्जे काश्त में होने का तथ्य गलत अंकन किया है तथा वादी का अन्य भूमि खसरा नंबर 3 पर काबिज काश्त होना बताया है जो सरासर गलत हैं। वादी का उक्त भूमि से कोई संबंध व सरोकार नहीं है उक्त खसरा नंबर 1/1291, 2 एवं खसरा नंबर 3 वादी के पिता एवं पूर्व खातेदारों के मध्य मौखिक विभाजन किया गया था, जिसके अनुसार खसरा नंबर 3 में पूर्व खातेदार के हिस्से की भूमि वादी के पिता को दी गई तथा खसरा नंबर 1/1291 व 2 में वादी के पिता के हिस्से की भूमि पूर्व खातेदारों को दी गई। तत्पश्चात् पूर्व खातेदारों से मिन उत्तरदाता ने उक्त भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 08/08/1975 को क्रय

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:18:11 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर द्वि.जयपुर

प्रकरण संख्या – 27 / 2020
बउनवानी – भैरू सिंह बनाम बंशी वगै0
निर्णय दिनांक :–20.05.2025

कर कब्जा प्राप्त कर लिया। ये सभी तथ्य मनगढ़ंत व बनावटी है जिनका सत्यता से कोई वास्ता नहीं है। तथा प्रतिवादी ने इस मद में जवाब के साथ जो नक्शा सलंग्न किया है उक्त नक्शा राजस्व विभाग से सत्यापित नहीं है।

उभयपक्ष अधिवक्ता के निवेदन पर वाद प्राथमिक डिक्री किया गया। तदनुसार तहसीलदार जालसू को निर्देशित किया गया कि वे राज0 टीनेन्सी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) रुल्स के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए आराजी खसरा नंबर 1/1291 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2 रकबा 0.74 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.78 हैक्टेयर का उभयपक्ष का जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार बाई मीट्स एंड बाउंड्स के आधार पर विधिक विभाजन जमाबन्दी में अंकित हिस्से अनुसार पक्षकारान को नोटिस देकर उनकी उपस्थिति में कुर्रेजात भेजे। तहसीलदार जालसू द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट भेजे गये तथा उभयपक्ष की कुर्रेजात रिपोर्ट पर बहस सुनी गई। उभयपक्ष ने कोई आपत्ति जाहिर नहीं की फलस्वरूप उभयपक्ष ने कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर वाद डिक्री किये जाने हेतू निवेदन किया। अतः तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है :–

1. बंशी पुत्र बिरदा जाति अहीर (यादव) ढाणी नवोढी तन रामपुरा खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 2/1 रकबा 0.3900 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
2. भैरू सिंह पुत्र करणीदान जाति चारण, सा. देह खातेदार राहिन जयपुर जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लि0 जयपुर शाखा चौमूं के हिस्से खसरा नंबर 1/1291 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2/2 रकबा 0.3500 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.3900 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। उभयपक्ष को मुताबिक निर्णय अनुसार जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेंगे। निर्णय एवं डिक्री की पालना हेतू तहसीलदार जालसू को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:18:11 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

अन्तिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओं 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)
पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी
आर.ए.एस

नियमित वाद संख्या 27 / 2020 **वाद प्रस्तुति दिनांक : 11.09.2023**

भैरू सिंह पुत्र करणीदान, उम्र 50 वर्ष, जाति चारण, निवासी ग्राम रायथल, तन ढाणी चारणों की तहसील आमेर जिला जयपुर राज.।

.... वादी

बनाम

1. बंशी पुत्र बिरदा जाति यादव, निवासी ढाणी नवोडी, तन रामपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर राज.।
2. उप पंजीयक महोदय, आमेर, जिला जयपुर राज.।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
4. जयपुर जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड जयपुर शाखा चौमूं जरिये शाखा प्रबंधक पता – चौमूं तहसील चौमूं जिला जयपुर।

..........प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत – 53, 188 अन्तर्गत अधिनियम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955

तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है:–

1. बंशी पुत्र बिरदा जाति अहीर (यादव) ढाणी नवोढी तन रामपुरा खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 2 / 1 रकबा 0.3900 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
2. भैरू सिंह पुत्र करणीदान जाति चारण, सा. देह खातेदार राहिन जयपुर जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लि0 जयपुर शाखा चौमूं के हिस्से खसरा नंबर 1 / 1291 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2 / 2 रकबा 0.3500 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.3900 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। उभयपक्ष को मुताबिक निर्णय अनुसार जरिये स्थाई निषेघाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेंगे। निर्णय एवं डिक्री की पालना हेतू तहसीलदार जालसू को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 20.05.2025 को जारी किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:18:11 IST
Reason: SelfAttested

दस्तखत–––
ओहदा–––

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–	स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमि		
बबत् इजराय हुक्मानामा	4 रूपये		श्नर	4 रूपये	
मुतफरित			बबत् इजराय हुक्मानामा		
मीजान			मुतफरित		
			मीजान		

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:18:11 IST
Reason: SelfAttested

नक्शा ट्रेस
ग्राम- रायथल
प०स०- रायथल
जिला- जयपुर
पैमाना - 1cm = 40 m.

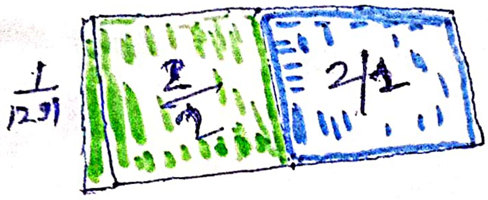

24/02/2025
प- रायथल

ILR जयसिंहपुरा
24.2.2025

24/2/25
NTDR

ख०न० 1/1291 व 2/2

1. मेजसिंह पुत्र करणीलाल जाति चावल

2. ख०न० 2/2
बंशी पुत्र बिरदा
जाति अहीर

नायब तहसीलदार
तहसील-जालसू

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:18:11 IST
Reason: SelfAttested

माननीय न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट आमेर मु.जयपुर के वाद संख्या 27/2020 उनवान भैरु बनाम बंशी व अन्य में निर्णय व डिक्री दिनांक 08/1/2025 की पालना में ग्राम रायथल आराजी खसरा न. 1/1291, 2 कुल किता-2 रकबा 0.78 हे. पर कुरेजात रिपोर्ट तैयार करने हेतु नोटिस दिनांक 17.2.2025 की पालना में आज दिनांक 24/2/2025 को बहमराह उपतहसीलदार जालसू भू.अ.नि. वृत जयसिंहपुरा ह.रायथल के साथ मौके पर उभयपक्षकारान की उपस्थिति में निम्न प्रकार कुरेजात रिपोर्ट तैयार की गयी :-

जमाबंदी अनुसार वर्तमान प्रविष्टि						कुरेजात रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित प्रविष्टि					
क्र.सं.	जमाबंदी अनुसार वर्तमान खातेदार	ख.न.	रकबा	किस्म	लगान	क्र.सं.	प्रस्तावित प्रविष्टि कुरेजात रिपोर्ट अनुसार	ख.न.	रकबा	किस्म	लगान
1	बंशी पुत्र बिरदा हिस्सा 1/2 जाति अहीर (यादव) ढाणी नवोडी तन रामपुरा खातेदार	1/1291	0.0400	बारानी 2	0.14	1	बंशी पुत्र बिरदा जाति अहीर (यादव) ढाणी नवोडी तन रामपुरा खातेदार।	[illegible]	0.3900	बारानी 2	1.30
		2	0.7400	बारानी 2	2.59		कुल खसरा	[illegible]	0.3900		1.30
(ii)	भैरुसिंह पुत्र करणीदानसिंह हि० 1/2 जाति चारण सा०देह खातेदार राहिन हि० 1/2 जयपुर जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लि० जयपुर शाखा चौमू					2	भैरुसिंह पुत्र करणीदान जाति-चारण सा०देह खातेदार राहिन जयपुर जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लि० जयपुर शाखा चौमू	[illegible]	0.0400	बारानी 2	0.14
									0.3500	बारानी 2	1.29
	कुल खसरा	02	0.7800		2.73		कुल खसरा	02	0.3900		1.43

भैरु

पटवारी-रायथल
24/02/2025

भू०अभि० निरीक्षक
जयसिंहपुरा
24/2/2025

24.2.25
NTDR

नायब तहसीलदार
उपतहसील-जालसू

सहायक कलक्टर
आमेर जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:18:11 IST
Reason: SelfAttested